Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 312 / 2011 सी.आई.एस.क्र.– 312 / 2011

सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम निर्मला देवी द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
31.10.2025	वादी एवं प्रतिवादीगण की कोई पैरवी नहीं है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आदेश – 22, नियम – 4 एवं 9 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनिमय के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु की सूचना सह प्रतिवादी की ओर से दिनांक 07.02.2025 को दी गयी थी परंतु प्रतिवादी सं0 1 के विधिक वारिसान के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था जिस कारण से नियत समय के भीतर प्रतिवादी सं0 1 के विधिक वारिसान को इस वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन वादी प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अतः निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुये प्रतिवादी सं0 1 के विधिक वारिसान शिवपूजन लाल दास, प्रणव कुमार लाल दास को प्रतिवादी सं0 1ए एवं 1बी के रूप में जोड़े जाने की अनुमति प्रदान की जाये। प्रतिवादीगण की ओर से न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है और ना ही प्रतिवादीगण सुनवाई में उपस्थित हुये। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की ओर से दिनांक 17.04.2025 को एक आवेदन प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु के संबंध में तथा उनके विधिक वारिसान का नाम बताये जाने के संबंध में दिया गया था जिसपर दिनांक 05.05.2025 को प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा संघर्ष नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम को विलोपित किये जाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। तत्पश्चात वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु यह आवेदन दिया गया है। अतः न्यायहित में वादी के इस आवेदन को **स्वीकृत** कर प्रतिवादी सं0 1 के विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित प्रतिवादी 1ए एवं 1बी के रूप में जोड़े जाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अविलंब सम्मन सामग्री दाखिल करे। वाद आगामी दिनांक 13.11.2025 वास्ते सम्मन सामग्री। हस्ताक्षर ह0 / – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	